

कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर (म.प्र.)

..... आदेश

क्रमांक / 326 / दो-12-1/70

मंदसौर, दिनांक 23/04/2024

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, मंदसौर के आदेश क्रमांक 39/एससी-2/2024 मंदसौर, दिनांक 17.01.2024 द्वारा मंदसौर जिले के लिए वर्ष-2024 में निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित किये गये हैं :-

स.क्र.	पर्व जिसके लिए अवकाश घोषित किया गया	दिनांक (वार)	क्षेत्र (तहसील) जहां के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है
01	बसंत पंचमी	14.02.2024 (बुधवार)	संपूर्ण जिला
02	अनंत चतुदशी का दूसरा दिन	18.09.2024 (बुधवार)	संपूर्ण जिला
03	दशहरा (महानवमी)	11.10.2024 (शुक्रवार)	संपूर्ण जिला

उपरोक्त अवकाश में से दिनांक 14.02.2024(बुधवार) बसंत पंचमी एवं 11.10.2024 (शुक्रवार) दशहरा महानवमी का सार्वजनिक अवकाश पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा घोषित किये गये हैं।

अतः कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, मंदसौर द्वारा घोषित स्थानीय अवकाश के अनुक्रम में, मै रेणुका कंचन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंदसौर वर्ष-2024 के लिए मंदसौर न्यायिक जिले के समस्त न्यायालयों एवं अनुभागों के लिए एतद् द्वारा निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करती हूँ-

1. 18.09.2024 (बुधवार)

अनंत चतुदशी का दूसरा दिन

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

812

मंदसौर (म.प्र.)

पू0क्रमांक /1360 / दो-12-1/70

मंदसौर, दिनांक 23/04/2024

प्रतिलिपि :-

- माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर म.प्र.
- रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित हैं।
- समस्त न्यायिक अधिकारीगण, मुख्यालय मंदसौर एवं तहसील न्यायालय नारायणगढ, सीतामउ, गरोठ व भानपुरा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैं।
- अध्यक्ष अभिभाषक संघ मंदसौर, नारायणगढ, सीतामउ, गरोठ व भानपुरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित हैं।
- प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग मंदसौर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि समस्त तृतीय एवं चतुर्थश्रेणी कर्मचारीगण को अवगत कराया जावे।

812

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
मंदसौर (म.प्र.)